41

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः—श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1960—तीन/2000 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 11—08—2000 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल सम्भाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 268/1991—92/अपील

.....

रामस्वरूप पुत्र श्री सालिगराम,
निवासी —ग्राम चन्दूपुरा, तहसील व
जिला—भिण्ड (म0प्र0)

..... आवेदक

विरूद्ध

1— म0प्र0 शासन
2— पृथवीराम
3— छोटेलाल
4— सुदामालाल, पुत्रगण गयाराम,
निवासीगण— ग्राम चन्दूपुरा, तहसील व
जिला—भिण्ड (म0प्र0)

.....अनावेदकगण

.....

श्री एस0के0 अवस्थी, अभिभाषक, आवेदक
श्री राजीव गौतम, शासकीय अभिभाषक, अनावेदक क्र0 1
श्री एस0के0 वाजपेयी, अभिभाषक, अनावेदक क्र0 2

.....

आदेश

(आज दिनांक 3-11-2016 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल सम्भाग, मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 11—08—2000 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि तहसील भिण्ड के ग्राम बबेड़ी में स्थित विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 129 रकबा 16 बिस्वा पटवारी कागजात में रास्ते के रूप में दर्ज है, को कृषियोग्य काबिल काश्त घोषित की जाकर आवेदक के खाते में सम्मिलित किये जाने हेतु

आवेदक द्वारा आवेदन–पत्र मय संहिता की धारा 237, व 234 के अन्तर्गत न्यायालय कलेक्टर, भिण्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया। कलेक्टर, भिण्ड द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र जॉच कर प्रतिवेदन हेतु तहसीलदार, भिण्ड को भेजा गया। तहसीलदार, भिण्ड द्वारा अपने प्रतिवेदन में काबिल काश्त घोषित किये जाने कि अनुशंसा सहित कलेक्टर, भिण्ड को उचित आदेशार्थ भेजा की है। कलेक्टर, भिण्ड ने अनुविभागीय अधिकारी, भिण्ड द्वारा ग्राम पंचायत का ठहराव, पटवारी का कथन तहसीलदार, भिण्ड द्वारा भेजा गया प्रतिवेदन का अवलोकन किया, तथा अवलोकन किये जाने के उपरान्त तहसीलदार द्वारा दिया गया प्रतिवेदन विश्वसनीय नहीं माना और आवेदक के द्वारा अतिक्रमण के गलत कृत्य को काबिल काश्त घोषित कराकर अपने हित में व्यवस्थापन की मांग स्वार्थसिद्ध करने हेतु माना है एवं दिनांक 20.03.87 को कलेक्टर, भिण्ड ने प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी, भिण्ड की ओर धारा 234 भू–राजस्व संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करने को भेजा। अनुविभागीय अधिकारी, भिण्ड ने उक्त पालनार्थ में अपने आदेश दिनांक 14.10.87 के द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र को निरस्त किया। उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अपील न्यायालय कलेक्टर, भिण्ड को पेश की गई, कलेक्टर, जिला–भिण्ड द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.07.92 से अपील को निरस्त किया गया। परिणामतः द्वितीय अपील अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के न्यायालय में प्रस्तुत की गई है, जिसमें प्रकरण क्रमांक 268/1991–92/अपील पर दर्ज किया जाकर पारित आदेश दिनांक 11–08–2000 द्वारा अपील अस्वीकार की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश से परिवेदित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि प्रकरण क्रमांक 37/93–94 तहसील में प्रचलित थी, जिसमें अनावेदक ने आवेदक का 20 वर्षा से कब्जा माना था तथा कब्जा हटाने के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। अनावेदक को 1993 में जानकारी हो चुकी थी। अनावेदक तहसील न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी, भिण्ड एवं कलेक्टर न्यायालय में पक्षकार नहीं थे। न्यायालय अपर आयुक्त में पक्षकार बनाये जाने बावत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो विधि के प्रावधानों के विपरीत है। पक्षकार नहीं बनाया जा सकता है। आवेदक के अभिभाषक द्वारा अपर आयुक्त ने मूल न्यायालय अर्थात अनुविभागीय अधिकारी, भिण्ड के न्यायालय के अभिलेख को बुलाये बिना अनुमान के आधार पर आदेश पारित करने में भूल की है । मूल न्यायालय के अभिलेख को बुलाने से इंकार करना न्यायोचित नहीं है । जब

ग्राम पंचायत ने नोईयत बदलने के सम्बन्ध में ठहराव द्वारा सहमति दी है तब एक व्यक्ति का आवेदन पत्र मानना न्यायोचित नहीं है । कलेक्टर, भिण्ड ने अपील को प्रचलन योग्य नहीं पाया और अपील निरस्त कर दी। अपीलीय न्यायालयों ने प्रकरण के गुण–दोषों पर विचार नहीं किया । अधीनस्थ न्यायालयों ने इस तथ्य पर कोई विचार नहीं किया कि जब विवादित भूमि का वास्तव में परिवर्तन हो चुका है और उस पर कृषि हो रही है तब निरस्तार का औचित्य शेष ही नहीं रहा । ऐसे में अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है । परिणामतः निगरानी स्वीकार किया जावे।

4/ अनावेदकगण के अभिभाषकताओं द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर ही उक्त प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है तथा आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी में कोई ठोस आधार न होने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

5/ मेरे द्वारा उभयपक्ष के अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अवलोकन करने पर पाया गया कि न्यायालय अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 26.05.2000 को आदेश 1 नियम 10 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र को स्वीकार करते हुये, अनावेदक क्रमांक 2, 3 व 4 को पक्षकार बनाये जाने के आदेश दिये गये थे। आवेदक ने प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 26.05.2000 की निगरानी में राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर में चुनौती दी। राजस्व मण्डल, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.07.2000 से प्रकरण न्यायालय अपर आयुक्त को इस निर्देश के साथ लौटाया कि पारित आदेश में पक्षकार बनाया जाना किस कारण न्यायोचित है, इस का कोई आधार नहीं दर्शाया। सुनवाई पश्चात विधि अनुसार निर्णय दिये जाने के आदेश के साथ प्रकरण पुनः न्यायालय अपर आयुक्त में प्रचलित हुआ। राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर द्वारा दिये गये निर्देशानुसार दोनों पक्षों के अभिभाषकगण को पक्षकार बनाये जाने के बिन्दु पर तथा गुणदोषों के आधार पर सुना गया । आवेदक के अभिभाषक द्वारा गुणदोष पर इस कारण बहस नहीं की कि मूल प्रकरण नहीं आया है। मान भी लिया जावे कि मूल प्रकरण में राजस्व निरीक्षक, पटवारी अथवा तहसीलदार, भिण्ड द्वारा विवादित को काबिल काश्त घोषित किये जाने की अनुशंसा की है। अनुशंसा किये जाने से अंतिम आदेश नहीं हो जाता है। राजस्व अधिकारी, राजस्व निरीक्षक से अथवा तहसीलदार से जॉच कर प्रतिवेदन इसलिये मांगते है, ताकि उनको न्यायदान करने में सुविधा हो, इसका यह मतलब नहीं निकालना चहिये, कि प्रतिवेदन आवेदक के पक्ष में है तो

यह अतिंम आदेश हो गया । प्रतिवेदन से सहमत हो या न हो यह राजस्व अधिकारी के विवेक पर निर्भर करता है। ऐसी स्थिती में मूल प्रकरण की कोई आवश्यकता नहीं हैं । संहिता की धारा 237, 234 में स्पष्ट प्रावधान दिया है कि किसी एक ग्रामवासी के आवेदन पत्र के आधार पर काबिल काश्त घोषित नहीं किया जा सकता है। इसकें लिये ग्राम के एक चौथाई वयस्क सदस्यों द्वारा आवेदन पर से कार्यवाही की जा सकती है। जहॉ तक पक्षकार बनाये जाने का प्रश्न है, विवादित भूमि सार्वजनिक भूमि है। उसमें प्रत्येक ग्रामवासी का हित निहित होता हैं । ग्राम का हर ग्रामवासी हितबद्ध पक्षकार होता है, चुंकि विवादित भूमि रास्ते की भूमि है, जो सार्वजनिक भूमि की श्रेणी में आती है। सार्वजनिक भूमि होने के कारण पक्षकार बनने बावत आवेदन पत्र को स्वीकार किया गया था। इसी स्तर पर अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना ने अपने आदेश में विस्तृत उल्लेख किया है तथा अनुविभागीय अधिकारी, भिण्ड एवं कलेक्टर, भिण्ड के द्वारा पारित आदेशों को यथावत रखा है । ऐसी स्थिति में संहिता की धारा 234 व 237 में निर्मित प्रावधानों के अनुसार अनुविभागीय अधिकारी, भिण्ड तथा कलेक्टर, भिण्ड एवं अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा पारित आदेशों में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है । अतः तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश नियमानुसार होने से स्थिर रखे जाते है, और प्रस्तुत निगरानी बिना किसी ठोस आधार अथवा प्रमाण के प्रस्तुत होने के कारण निरस्त की जाती है। तत्पश्चात पक्षकार सूचित हो । प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर